



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 4-2023/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, JANUARY 4, 2023 (PAUSA 14, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग

अधिसूचना

दिनांक 4 जनवरी, 2023

पशु संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोग निवारक एवं रोकथाम अधिनियम, 2009.

संख्या 7129(सी०एफ०एम०एस०)—प०पा०—4—2022/89.— पशु संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोग निवारण एवं रोकथाम अधिनियम, 2009 (वर्ष 2009 का 27) की धारा 6 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 7 की उप-धारा (1) तथा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा सरकार द्वारा जीन्द जिले को अश्व प्रजाति के पशुओं में गलैडर्स रोग से बचाव, नियन्त्रण के लिये एतद द्वारा 'नियन्त्रित क्षेत्र' घोषित किया जाता है तथा घोड़े, गधे, खच्चर व अश्व प्रजाति के अन्य पशुओं की, जहां वे इस जिले में रखे गये हैं, से किसी अन्य स्थान पर राज्य के अन्दर या बाहर आवाजाही को प्रतिबन्धित किया जाता है तथा जीन्द जिले में इन पशुओं की दौड़, मेले, प्रदर्शनी, खेल के आयोजन तथा एकत्रित करने पर भी प्रतिबन्ध लगाया जाता है।

अमनीत पी० कुमार,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
ANIMAL HUSBANDRY & DAIRYING DEPARTMENT

Notification

The 4th January, 2023

THE PREVENTION AND CONTROL OF INFECTIOUS AND CONTAGIOUS DISEASES IN ANIMAL ACT, 2019

No. 7129(CFMS)-AH-4-2022/89.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 6 read with Sub-section (1) and (2) of Section 7 of "The Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals Act, 2009 (27 of 2009)", the Government of Haryana, hereby declares the District Jind as "controlled area" for restriction of movement of equine species (horses, donkeys, mules) within or outside the district and bordering States to prevent, control and contain the Glanders disease. The holding of races, fair, exhibition, games and gathering of such animals in Jind District is also prohibited.

AMNEET P. KUMAR,
Commissioner and Secretary to Government Haryana,
Animal Husbandry & Dairying Department.

10109—C.S.—H.G.P., Pkl.

(27)